

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 151 / 2025 दिनांक : 20.01.2025


श्री नरेन्द्रसिंह मालावत (RJ01032), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-द्वितीय को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 28.11.2024 से 30.11.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 01.12.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 04.12.2024 से 07.12.2024 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.12.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री मालावत की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-द्वितीय के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/19/2016/688

दिनांक 20.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-द्वितीय को उनके पत्रांक 789/804 दिनांक 02.12.2024/09.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री नरेन्द्रसिंह मालावत (RJ01032), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-द्वितीय।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय।


सहायक रजिस्ट्रार